

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-917/दो-9-2018-8(13)/2013
लखनऊ, दिनांक 13 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथा संशोधन नियमावली-2014, दिनांक 04.03.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राजेन्द्र प्रसाद, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-9 को उनकी पुत्री कु0 महिमा गुप्ता की दिनांक 30.01.2018 से 02.02.2018 तक डा0 सौरभ सिंह, प्रकाश नेत्र केन्द्र, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-26,050/- (रूपये छब्बीस हजार पचास मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा, जिससे श्री राजेन्द्र प्रसाद, समीक्षा अधिकारी का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-917(1)/दो-9-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
 - 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 4- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 - 5- श्री राजेन्द्र प्रसाद, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-9
 - 6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
 - 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,
विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-886/दो-9-2018-8(66)/2017
लखनऊ, दिनांक 13 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, यथा संशोधित नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री सुनील कुमार तिवारी, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-5 को उनकी पत्नी श्रीमती गंगोत्री तिवारी की दिनांक 18.07.2017 से 25.12.2017 तक डा0 चन्द्रावती, कृष्णा मेडिकल सेन्टर, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-18,826/- (रूपये अट्ठारह हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा, जिससे श्री सुनील कुमार तिवारी, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-5 का वेतन आहरित किया जाता है।


अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-886(1)/दो-9-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
 - 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 - 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
 - 6- श्री सुनील कुमार तिवारी, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
 - 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,


(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव 2

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-880/दो-9-2018-8(105)/2009
लखनऊ, दिनांक 13 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, यथा संशोधित नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री भगवत प्रसाद, अनुसेवक, कार्मिक अनुभाग-4 को उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमा की दिनांक 20.01.2018 से 27.01.2018 तक एवं दिनांक 18.11.2017 से 06.01.2018 तक डा0 मुकेश हाण्डा, हाण्डा हास्पिटल से एवं डा0 ए0एम0 कार, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष क्रमशः धनराशि रू0-7,087/- एवं रू0-29,622/- अर्थात् कुल रू0-36,709/- (रूपये छत्तीस हजार सात सौ नौ मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें जाला जायेगा, जिससे श्री भगवत प्रसाद, अनुसेवक, कार्मिक अनुभाग-4 का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-880(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- 6- श्री भगवत प्रसाद, अनुसेवक, कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
- 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,

विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनुसचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-885/दो-9-2018-8(15)/2013
लखनऊ, दिनांक 13 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, यथा संशोधित नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री दिनेश सिंह, अनुसेवक, नियुक्ति विभाग को उनकी पत्नी श्रीमती शीला सिंह की दिनांक 10.11.2017 से 07.03.2018 तक डा0 मुकलेश गुप्ता, उद्ययन हेल्थ केयर लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-26,041/- (रूपये छब्बीस हजार इकतालीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा, जिससे श्री दिनेश सिंह, अनुसेवक, नियुक्ति विभाग का वेतन आहरित किया जाता है।


अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-885(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
 - 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1
 - 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
 - 6- श्री दिनेश सिंह, अनुसेवक, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,


(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव 2